

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 26 / 2025 दिनांक : 01.02.2025

डॉ. नीरू सोनी (RJ01097), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-04, भरतपुर को दिनांक 05.02.2025 से 21.02.2025 तक 17 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 04.02.2025 के स्थानीय अवकाश एवं दिनांक 22.02.2025 से 23.02.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. सोनी की अनुपस्थिति में विशिष्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण), भरतपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।


अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-04, भरतपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,  
  
रजिस्ट्रार (विर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/85/2016/ 1009 दिनांक : 01.02.2025

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 533 दिनांक 31.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. नीरू सोनी (RJ01097), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-04, भरतपुर।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-04, भरतपुर।
5. विशिष्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण), भरतपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार 01/02/25